न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 05 / 2024

महाकारिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पिचूना जरिये अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा पुत्र विष्णू कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। ....प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।

.............असल अप्रार्थी

2.सोहनलाल पुत्र कलक्टर ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।

..........तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एलआरए।

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः–19.11.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128,136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी की कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2810 / 2403 / 0.2050, 2809 / 2403 / 0. 2050 किता 2 बाके ग्राम पिचूना में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 2135 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा था तथा उक्त आराजी का सैटलमैन्ट पूर्व हम प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के मध्य मनवट के आधार पर बंटबारा हो गया था तथा मुताबिक बंटबारे के हम प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी को मुझ प्रार्थी ने पूर्व के खातेदार स्वतंत्र कुमार से खरीद किया था एवं महाकारिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के नाम करवाया था। दौराने सैटलमेंन्ट उक्त विवादित आराजी के नये नम्बर 2810 / 2403 / 0.2050, 2809 / 2403 / 0.2050 बनाये तथा दौराने सैटलमैन्ट ही उक्त आराजी का नया राजस्व नक्शा भी तैयार किया गया। नये नक्शे को मौका एवं जमाबंन्दी के विपरीत तैयार किया गया मुताबिक जमाबन्दी पुरानी एवं हाल के उक्त आराजी का रकबा

Rahul Srivastava
19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

सही है लेकिन नवीनतम राजस्व नक्शे में जमावंन्दी का रकवा वरावर नहीं होता है एवं लगभग 0.14है0 आराजी से महरूम होना पडता है। जव प्रार्थी के इसके सम्वन्ध में जानकारी हुई तो प्रार्थी नक्शा दुरस्ती हेतू अप्रार्थी संख्या 1 के पास गया तो अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन ने नक्शा दुरस्त करने से साफ इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से नक्शा दुरस्ती हेतू आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर नये राजस्व नक्शे में हुई अशुद्धि को पुराने राजस्व नक्शे के मुतावित सही किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पिचूना के खसरा नम्वर 2809/2403 रकवा 0.2050, 2810/2403 रकवा 0.2050 किता 2 रकवा 0.41है0 दर्ज रिकार्ड है जवकि नक्शे में क्षेत्रफल 0.30है0 वैठता है उपरोक्त खसरा नम्वर से लगते हुए खसरा नम्वर 2397, 2398 का रकवा नक्शे में जमावन्दी से अधिक वैठता है। अभिभापक प्रार्थी की वहस सुनी गई अभिभापक प्रार्थी ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी का रकवा जमाबंन्दी में सही दर्ज है परन्तु उक्त आराजी का क्षेत्रफल मुताविक जमावंदी नक्शे में सही नहीं बैठता है। अतः राजस्व नक्शे में विवादित आराजी का रकवा मुताविक जमावंदी शुद्ध किया जावें।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक विवादित आराजी का नक्शे में क्षेत्रफल जमाबंदी से 0.11है0 कम बैठता है एवं विवादित आराजी से लगते हुये नम्बरों का क्षेत्रफल नक्शे में जमाबंदी से अधिक बैठता है। विवादित आराजी का क्षेत्रफल नक्शे में मुताबिक जमाबंदी शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2809/2403, 2810/2403 का क्षेत्रफल राजस्व नक्शे में 0.30है0 के स्थान पर 0.41है0 शुद्ध किया जाकर। राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे। इस बाबत् तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Shrivastava 19.11.24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)